

डाक व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत अनुमति पत्र क्र० भोपाल 505/डब्ल्यू.पी.



पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम.पी.)

मध्य प्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144 |

भोपाल, सोमवार, दिनांक 31 मार्च 1997 – चैत्र 10, शके 1919

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एम-16-34 1995-एक-4

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 1997

मध्यप्रदेश भवन तथा मध्यावर्त अधिवास नियम, 1997

नियम 1 : संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. – (1) ये नियम मध्यप्रदेश भवन तथा मध्यावर्त अधिवास नियम, 1997 कहलायेंगे.

(2) ये 1 अप्रैल 1997 से प्रवृत्त होंगे.

नियम 2 : परिभाषाएं. – इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(अ) "भवन" से अभिप्रेत है कि नई दिल्ली में मध्यप्रदेश भवन अथवा मध्यावर्त,

(ब) "आयुक्त" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भवन के प्रमुख आवासीय आयुक्त,

(स) कर्तव्य पर प्रवास से अभिप्रेत है –

(1) मध्यप्रदेश शासन के शासकीय कार्य से या प्रशिक्षण पर प्रवास; अथवा

(2) मध्यप्रदेश विधान सभा या उसकी किसी समिति के कार्य के प्रवास; अथवा

(3) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्य से प्रवास; अथवा

(4) मध्यप्रदेश शासन के अथवा उसके द्वारा स्थापित किसी आयोग, अभिकरण, विश्वविद्यालय, उपक्रम, निगम अथवा स्थानीय निकाय के कार्य से प्रवास,

(द) "कक्ष" से अभिप्रेत है भवन का कोई कक्ष या कोष्ठावली,

(इ) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन,

नियम 3 : भवन में अधिवास की सामान्य व्यवस्था. - भवन मूलतः मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री, विधायकों एवं राज्य शासन के राजपत्रित अधिकारियों के उपयोग के लिये है जब वे नई दिल्ली में कर्तव्य से प्रवास पर आये हों, इनका उपयोग कक्ष उपलब्धता के अधीन इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अन्य व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा.

नियम 4 : कर्तव्य पर प्रवास पर आये अतिथियों का अधिवास. - (1) नई दिल्ली में कर्तव्य पर प्रवास पर आये अतिथियों को भवन में परिशिष्ट एक में दर्शाएँ अग्रताक्रम में निःशुल्क अधिवास का अधिकार होगा. उच्च अग्रताक्रम के व्यक्ति को निम्न अग्रताक्रम के व्यक्ति की तुलना में अधिवास का प्रथम अधिकार होगा, एक ही अग्रताक्रम के व्यक्तियों को "प्रथम आये प्रथम पाये" सिद्धान्त के आधार पर अधिवास का अधिकार होगा.

(2) आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वे परिशिष्ट एक के क्रमांक 1 से 11 तक के किसी अतिथि को अधिवास उपलब्ध कराने के लिये किसी अन्य अधिवासी से कक्ष खाली कराने के लिये कह सके.

(3) परिशिष्ट एक के सरल क्रमांक 1 से 11 तक के अतिथियों तथा उनके साथ आने वाले स्टाफ के राजपत्रित अधिकारियों, मध्यप्रदेश भवन में माननीय महिला विधायकों के साथ आये परिजनों एवं सहायकों को भवन के कक्षों में निःशुल्क अधिवास की पात्रता होगी, इन अतिथियों के स्टाफ के अराजपत्रित कर्मचारियों को भवन में उनके लिए विशेष रूप से बनाये गये कमरों में स्थान उपलब्धता के आधार पर निःशुल्क ठहरने की पात्रता होगी, (अधिसूचना क्रमांक एफ-16-4-2006-एक-4 दिनांक 30 नवम्बर, 2009 द्वारा संशोधित)

(4) एक व्यक्ति को केवल एक कक्ष आवंटित किया जावेगा.

(5) भवन में ठहरे किसी अतिथि के जाने के बाद उसके परिवार को कक्ष में 24 घण्टे से अधिक ठहरने की अनुमति नहीं रहेगी, इस अवधि के बाद उनसे परिशिष्ट-3 में दर्शाई दरों से किराया लिया जावेगा एवं कक्ष खाली कराने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी.

(6) शासकीय अधिकारियों को भवन में एक समय में अधिकतम 7 दिन तक ठहरने की पात्रता होगी, इससे अधिक अवधि के अधिवास के लिये मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी.

नियम 5: विशेष श्रेणी के अतिथियों का अधिवास. - नियम 4 में उल्लेखित अतिथियों की मांग पूर्ति के उपरांत परिशिष्ट 2 में उल्लेखित अतिथियों को भवन में कक्ष उपलब्ध के अधीन, उक्त परिशिष्ट में दर्शाई गई शर्तों, निबंधों व शुल्कों की दरों के अनुसार अधिवास की पात्रता होगी.

नियम 6: पारस्परिक व्यवस्था के अन्तर्गत अन्य राज्यों के अधिकारियों का अधिवास. -पारस्परिक व्यवस्था के आधार पर त्रिपुरा, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, आसाम, उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों जिनसे आयुक्त का अनुबंध है, उसके तहत इन राज्यों के अधिकारियों को पारस्परिक व्यवस्था के आधार पर भवन में ठहरने की अनुमति होगी, शुल्क की दरें परिशिष्ट-3 के अनुसार होंगी.

नियम 7: स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर आये शासकीय अधिकारियों का अधिवास. - (1) राज्य शासन के ऐसे अधिकारीगण जो केन्द्र शासन अथवा दिल्ली प्रवास में स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं और आवास व्यवस्था होने तक भवन में ठहरते हैं, उनसे वही आवास किराया लिया जायेगा जो कि केन्द्र शासन/दिल्ली प्रशासन द्वारा उन्हें दिया जाता है.

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि नई दिल्ली में पदस्थ किये जाने वाले राज्य शासन के अधिकारियों को मध्यप्रदेश भवन में कक्ष उपलब्ध होने पर ही आवंटित किये जाने के संबंध में विचार किया जा सकेगा और किसी भी स्थिति में मध्यप्रदेश भवन के बाहर अन्यत्र कक्ष किराये पर लेकर उपलब्ध नहीं कराया जायेगा। उक्त अधिकारियों को मध्यप्रदेश भवन में ठहरने की अवधि 60 दिन से अधिक नहीं होगी। (राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश क्रमांक एफ 16-34/2004/1/4 दिनांक 29 अक्टूबर 2004)

राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-21/2004/1/4 दिनांक 13 जनवरी 2005 के द्वारा मध्यप्रदेश भवन तथा मध्यावर्त भवन अधिवास नियम-1997 के नियम 7 (1) में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-

"राज्य शासन के ऐसे अधिकारीगण जो केन्द्र शासन अथवा दिल्ली प्रशासन में स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर आते हैं और मध्यप्रदेश भवन में ठहरते हैं, तो उनसे नई दिल्ली में होस्टल/आवास आवंटन दिनांक के एक सप्ताह बाद तक केन्द्र शासन से जो किराया मिलता है वह लिया जाये। उसके बाद उपर्युक्त नियम के परिशिष्ट-3 में दर्शायी दर का दुगुना किराया लिया जाए।"

राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-21/2004/1/4 दिनांक 23 मार्च 2005 के द्वारा मध्यप्रदेश भवन तथा मध्यावर्त भवन अधिवास नियम-1997 के नियम 7 (1) में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-

- 1 "राज्य शासन के ऐसे अधिकारीगण जो केन्द्र शासन अथवा दिल्ली प्रशासन में स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर आते हैं और आवास व्यवस्था होने तक मध्यप्रदेश भवन में ठहरते हैं, उनसे दिल्ली में शासकीय आवास का आधिपत्य लेने के दिनांक तक वहीं किराया लिया जाए जो उन्हें केन्द्र शासन अथवा दिल्ली प्रशासन से देय होता है.
- 2 आवास का आधिपत्य प्राप्त होने के उपरांत एक माह तक उनसे परिशिष्ट "तीन" में दर्शायी दरों से किराया लिया जाए.

3 आवास का आधिपत्य लेने पर एक माह की अवधि पूर्ण होने पर परिशिष्ट "तीन" में दर्शायी दरों का दुगना किराया लिया जाए.

(2) राज्य शासन के ऐसे अधिकारी जो आयुक्त के कार्यालय से वापस राज्य में स्थानांतरित हो जाते हैं उन्हें यदि भवन में कक्ष आवंटित किया गया हो तो उन्हें स्थानांतरण के बाद अधिकतम दो माह तक कक्ष रखने की पात्रता होगी, इसके बाद उन्हें परिशिष्ट-3 में दर्शायी गई दरों पर किराया देय होगा.

नियम-8: अन्य व्यक्तियों का अधिवास - उपरोक्त नियम 4 से 7 में सम्मिलित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भवन में स्थान उपलब्धता के आधार पर आयुक्त के आदेश पर अधिकतम तीन दिन की अवधि के लिये कक्ष दिया जा सकेगा. इन व्यक्तियों से परिशिष्ट-3 में दर्शायी गई दरों पर शुल्क अग्रिम लिया जावेगा. इससे अधिक अवधि के अधिवास के लिये राज्य शासन की पूर्वानुमति आवश्यक होगी. ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिये दो गुना शुल्क अग्रिम देय होगा.

नियम-9 : विशिष्ट प्रकरणों में शुल्क माफ करने का अधिकार. - राज्य शासन विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए विशिष्ट प्रकरणों में भवन के शुल्क में छूट दे सकता है.

नियम-10 : अनाधिकृत अधिकारी को निष्कासित करने की शक्ति. - यदि कोई अधिवासी अनाधिकृत रूप से भवन में ठहरा हुआ तो आयुक्त के निर्देश पर उससे कक्ष खाली कराया जा सकेगा, ऐसी स्थिति में ऐसे अधिवासी से उसकी सम्पूर्ण अधिवास की अवधि के लिये परिशिष्ट-3 में दर्शाई गई दरों से दो गुनी दर पर शुल्क लिया जा सकेगा.

नियम-11 : अधिवास के लिए आरक्षण एवं आगंतुक रजिस्टर - (1) परिशिष्ट - एक तथा दो में उल्लिखित व्यक्तियों के लिये आरक्षण की सूचना/आवेदन भवन के स्वागत कक्ष में दी जावेगी. अन्य व्यक्तियों द्वारा आयुक्त अथवा सामान्य प्रशासन विभाग को (जैसी स्थिति हो) अनुमति के लिये आवेदन दिया जायेगा. अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में भवन के स्वागत कक्ष को सूचना दी जावेगी.

(2) भवन के स्वागत कक्ष में आरक्षण पंजी संधारित रहेगी जिसमें परिशिष्ट एक या दो में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में आरक्षण की सूचना या दूरभाष पर संदेश प्राप्त होने एवं अन्य व्यक्तियों के संबंध में आयुक्त/सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर पंजी में इन्द्राज किया जावेगा.

(3) परिशिष्ट-एक में सम्मिलित ऐसे अतिथि जिनके पूर्व आवेदन पर कक्ष आरक्षित किया गया हो, तो उन्हें अन्य अतिथियों के मुकाबले अधिवास का प्रथम अधिकार होगा, परन्तु परिशिष्ट-एक के स.क. 1 से 11 तक के अतिथियों को निम्नकम के अतिथियों के लिये आरक्षित कक्ष आवंटित किया जा सकेगा.

(4) भवन का स्वागतकर्ता परिशिष्ट-4 में निर्धारित प्रारूप में "आगंतुक" रजिस्टर (विजिटर्स बुक) संधारित करेगा, सभी अतिथियों के लिये आगमन तथा प्रस्थान के पूरे ब्यौरे अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, जिस व्यक्ति के नाम से कमरा आरक्षित है, उसके या उसके परिवार के आलावा यदि अन्य कोई व्यक्ति इसका उपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का नाम व ब्यौरे भी आगंतुक पंजी में दर्ज किया जाना आवश्यक होगा.

नियम-12 : भोजन एवं अन्य व्यवस्थाएं.-(1) भवन में भोजन व्यवस्था उपलब्ध रहेगी. किचिन में तैनात कर्मचारी भोजन निर्धारित शुल्क लेने के हकदार होंगे. भोजन दरों की सूची स्वागतकर्ता के पास एवं किचिन में उपलब्ध रहेगी. रूम सर्विस पर 10 प्रतिशत अधिभार लगेगा. विशेष भोजन सामग्री की पूर्ति के लिये चार्ज अलग से लिया जायेगा, किचिन में कर्मचारी प्रदाय की गई सामग्री किचिन पुस्तिका में अंकित करेंगे तथा अतिथि के उस पर हस्ताक्षर करायेंगे, बिल प्रस्तुति के समय इस पुस्तिका की एक प्रति अतिथि को दी जायेगी, भोजन के लिये दिये गये आर्डर के अनुसार राशि का भुगतान करना होगा, भले ही भोजन ग्रहण किया हो अथवा नहीं.

(2) भवन के प्रांगण में स्थापित पी. सी. ओ. में एस. टी. डी. फोन कॉल की सुविधा है. भवन में उपलब्ध एस. टी. डी. सुविधा का उपयोग अतिथि द्वारा किया जा सकता है, इस सुविधा के उपयोग करने पर अतिथि को बिल प्रस्तुत किया जायेगा, यदि कॉल शासकीय कार्य से किया गया हो तो अतिथि द्वारा बिल पर तदनुसार प्रमाणीकरण किया जावेगा और निजी कार्य से कॉल किया गया हो तो उसी समय नगद भुगतान किया जायेगा.

(3) अधिवासी के निवेदन पर उपलब्धता के आधार पर कक्ष में प्रत्येक 24 घंटे या उसके मात्र के लिये रुपये 50 प्रति बिस्तर के हिसाब से उसके परिवार के सदस्यों के लिये बिस्तर प्रदाय किया जावेगा.

(4) सभी प्रकार की टूट-फूट के लिए वस्तु की कीमत तथा उस पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान संबंधित अतिथि से लिया जायेगा सभी वस्तुओं की कीमतों की सूची भवन में उपलब्ध होगी.

(5) भवन का कोई फर्नीचर या अन्य कोई वस्तु अपने स्थान से नहीं हटाई जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सीमा शर्मा, उपसचिव,

परिशिष्ट-1

(देखें नियम-4)

ऐसे व्यक्तियों की सूची जो कर्तव्य पर प्रवास पर भवन में अधिवास करने के हकदार है :-

1. राज्यपाल
2. मुख्यमंत्री
3. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
उप मुख्यमंत्री
विधान सभा अध्यक्ष
4. मंत्री
मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता
5. राज्य मंत्री
मध्यप्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष
6. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
लोकायुक्त
7. उप मंत्री
महाधिवक्ता
8. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष,
मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश माध्यस्थतम अभिकरण के अध्यक्ष,
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष,
राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष
9. विधायक
10. मुख्य सचिव,
अपर मुख्य सचिव,
अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल,
अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
मुख्य सचिव के समकक्ष स्तर के अधिकारी,
मध्यप्रदेश प्रशासनिक अभिकरण के उपाध्यक्ष,
उप लोकायुक्त
11. प्रमुख सचिव तथा उनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा,
(अधिसूचना क्रमांक एफ-16-31/2007/1/4 दिनांक 09 जुलाई 2007)
पुलिस महानिदेशक तथा उनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी,

12. राज्य शासन के सचिव तथा उनके समकक्ष अधिकारी, "के बाद" "सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा", जोड़ा गया। (मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना कमांक एम-16-34-1999-एक-4 दिनांक 8 फरवरी 1999)
 रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय,
 सभागीय आयुक्त,
 पुलिस महानिरीक्षक,
 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य,
 मध्यप्रदेश प्रशासनिक अभिकरण के सदस्य,
13. मध्यप्रदेश विधान सभा के सचिव, (विलोपित) सामान्य प्रशासन विभाग आदेश कमांक एम-16-34-1999-एक-4 दिनांक 8 फरवरी 1999
 राज्य शासन के अपर सचिव एवं उनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी, "के बाद" "अपर सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा" जोड़ा गया। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना कमांक एम-16-34-1999-एक-4 दिनांक 8 फरवरी 1999
 कलेक्टर,
 उप पुलिस महानिरीक्षक,
 राज्य शासन के उपसचिव (जो भा. प्र. सेवा के हों)
14. पुलिस अधीक्षक,
"मध्यप्रदेश विधान सभा के अपर सचिव" को विलोपित किया गया (मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना कमांक एम-16-34-1999-एक-4 दिनांक 8 फरवरी 1999)
"राज्य शासन के उपसचिव" (जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के न हों), "के बाद" "उप सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा" जोड़ा गया। (मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना कमांक एम-16-34-1999-एक-4 दिनांक 8 फरवरी 1999)
15. राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रबंध संचालक, जोड़ा गया। मंडलों/आयोगों के अध्यक्ष तथा सदस्य, सामान्य प्रशासन विभाग आदेश कमांक एम-16-34-1995-एक-4 दिनांक 6 जून 1997
16. मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति,
 मध्यप्रदेश के जिला पंचायतों के अध्यक्ष,
 मध्यप्रदेश के नगर निगमों के महापौर,
17. "राज्य शासन के प्रथम श्रेणी के अधिकारी" "के बाद" "मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रथम श्रेणी के अधिकारी" जोड़ा गया। (मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना कमांक एम-16-34-1999-एक-4 दिनांक 8 फरवरी 1999)
"मध्य प्रदेश विधान सभा के उपसचिव" को विलोपित किया गया। (मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना कमांक एम-16-34-1999-एक-4 दिनांक 8 फरवरी 1999)
18. "राज्य शासन के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी" "के बाद" "मध्यप्रदेश विधान सभा के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी", (मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना कमांक एम-16-34-1999-एक-4 दिनांक 8 फरवरी 1999)

परिशिष्ट - दो

(देखें नियम-5)

ऐसे व्यक्तियों की सूची जो निर्धारित शर्तों पर अवकाश या निजी कार्य से प्रवास पर भवन के अधिवास के हकदार हैं:-

स.क. (1)	प्रवर्ग (2)	अधिवास की शर्तें एवं शुल्क की दरें (3)
1.	मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल मुख्यमंत्री, अन्य प्रदेशों के राज्यपाल जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों.	(अ) एक कैलेंडर माह के तीन दिन के लिये निःशुल्क अधिवास की पात्रता होगी. इससे अधिक ठहरने पर अगले चार दिन तक रु. 100/- प्रतिदिन तथा उसके बाद परिशिष्ट तीन में दर्शाई गई दरों पर शुल्क लिया जावेगा. (ब) उपरोक्त सुविधा एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम छः अवसरों पर दी जावेगी. इसके बाद परिशिष्ट तीन में दर्शाई गई दरों पर शुल्क लिया जावेगा.
2.	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, लोकायुक्त, उप-लोकायुक्त, मध्यप्रदेश प्रशासनिक अभिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश माध्यस्थ्य अधिकरण के अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयुक्त,	उपरोक्त सरल क्रमांक - 1 के अनुसार.
3.	मध्यप्रदेश के विधायकगण	उपरोक्त सरल क्रमांक-1 के अनुसार के स्थान पर अधिसूचना क्रमांक एफ-16-1/2010/1/4 दिनांक 26 फरवरी, 2010 के अनुसार निम्नानुसार प्रतिस्थापित - "प्रतिमाह पाँच दिन के लिये निःशुल्क अधिवास की पात्रता होगी. इससे अधिक ठहरने पर रु. 200/- प्रतिदिन शुल्क लिया जायेगा."
4.	मध्यप्रदेश के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक.	एक कैलेंडर माह में तीन दिन रुपये 50/- प्रतिदिन तथा उसके बाद परिशिष्ट तीन में दर्शाई गई दरों पर 1 वर्ष में तीन बार.
5.	मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी.	
6.	राज्य शासन के अधिकारी जो या जिनके परिवार संचालक चिकित्सा शिक्षा की अनुशंसा के आधार पर चिकित्सीय परीक्षण/इलाज कराने के लिये आये हों या अवकाश पर हों.	उपरोक्त सरल क्रमांक 1 के अनुसार
7.	राज्य शासन के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी जो केन्द्र शासन या राज्य शासन की किसी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत किये गये हों अथवा निजी कार्य से दिल्ली आये हों.	उपरोक्त सरल क्रमांक 1 के अनुसार किन्तु वर्ष में तीन बार
8.	परमवीर चक्र, महावीर चक्र उपरोक्त सरल क्रमांक 4 एवं अशोक चक्र से सम्मानित एवं 5 के अनुसार किन्तु मध्यप्रदेश के निवासी सैनिक वर्ष में दो बार	

टीप. - परिशिष्ट क्रमांक 1 में उल्लेखित व्यक्तियों की मांग-पूर्ति के बाद उपरोक्त व्यक्तियों को पात्रता होगी.

राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-21/2004/1/4 दिनांक 23 मार्च 2005 के द्वारा संशोधित किराये की दरें :-

परिशिष्ट - तीन

(किराये की दरें)

अनु. क्र. (1)	भवन का नाम (2)	कक्ष की श्रेणी (3)	किराये की दर (4)
1	मध्यप्रदेश भवन	"ए"	रुपये 1000/-
2	मध्यप्रदेश भवन का विस्तार खण्ड	"बी"	संशोधन पूर्व किराया रुपये 800/- म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-16-21-2004-1-4 दिनांक 10 नवम्बर 2006 द्वारा संशोधित किराया रुपये 400/-
3	मध्यप्रदेश भवन (वी0आई0पी0 कैबिन)	"सी"	रुपये 400/-
4	मध्यप्रदेश भवन	"डी" (डारमिटरी)	रुपये 100/-

परिशिष्ट-चार

मध्यप्रदेश भवन

आगन्तुक रजिस्टर

MADHYA PRADESH BHAWAN
VISITOR BOOK

क्र. संख्या S.No	नाम (बड़े अक्षरों में) Name (In Block Letters)	पद तथा पूरा पता Designation & Complete Address	कमरा नम्बर Room No.	आगमन दिनांक/समय Arrival Date/Time	यात्रा का प्रयोजन Purpose of Visit	अनुमानित प्रस्थान Excepted Departure	आगंतुक के हस्ताक्षर Sign. of the visitor	प्रस्थान दिनांक/समय Departure Date/Time
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

कमरे का किराया Room Rent	ट्रंक काल राशि Trunk Call Amount	भुगतान की राशि Amount Paid	शेष राशि Amount Outstanding	आगन्तुक के हस्ताक्षर Signature of the Visitor	धन प्राप्ति रसीद संख्या M.R. No.	स्वागती के हस्ताक्षर Signature of the Receptionist	विशेष टिप्पणी Remarks
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)